बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC- 338

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी,
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

श्री अनुज कुमार मेहता,
पिता– सचदेव लाल मेहता,
ग्राम–सीचर, पो०–बड़ागंधर,
थाना–मुफस्सील, जिला–गया,
पिना–823003

पटना 14, दिनांक– 20/04/2022

विषय– श्री अनुज कुमार मेहता द्वारा गया जिला अन्तर्गत कैया ग्राम के खाता संख्या–329, प्लॉट संख्या–429(पु.), थाना संख्या–292, ब्लॉक–मानपुर में गया–मोकामा पथ (NH-82) के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच पथ के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.03375 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/144111/2021/220, दिनांक 12.04.2022 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

निर्देशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/144111/2021/220, दिनांक 12.04.2022 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर दो भागों में (A एवं B) सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग–A में 1–7 शर्तें तथा भाग–B में 1–9 शर्तें अधिरोपित है।

2. सैद्धांतिक स्वीकृति के भाग संख्या–A के कंडिका संख्या–1 के आलोक में हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू. 318/प्रति मा.दि.) के आधार पर रू. 7,71,390/– (सात लाख एकहत्तर हजार तीन सौ नब्बे रूपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रू. 318 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. सैद्धांतिक स्वीकृति के भाग–A के कंडिका संख्या–2 के आलोक में अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल– 0.03375 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि रू. 9,57,780/– प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 32,325/– (बत्तीस हजार तीन सौ पचीस रूपये मात्र) को प्रयोक्ता एजेन्सी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. सैद्धांतिक स्वीकृति के भाग–A के कंडिका संख्या–3 में Penal NPV की शर्त्त अधिरोपित की गयी है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा प्रतिवेदित है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्ष 2017 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। तद्आलोक में MoEF&CC, New Delhi के पत्रांक 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Penal NPV मद में NPV मद के समतुल्य राशि रू. 32,325/– मात्र का प्रति वर्ष (अधिकतम 5 वर्ष तक) 12 प्रतिशत ब्याज की राशि सहित रू. 2,19,810/– (दो लाख उन्नीस हजार आठ सौ दस रूपये) मात्र वन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2, 3 एवं 4 की राशि क्रमशः रू. 7,71,390.00 (+) रू. 32,325.00 (+) रू. 2,19,810.00 अर्थात कुल रू. 10,23,525.00 (दस लाख तेईस हजार पाँच सौ पचासी रूपये) मात्र को विभागीय वेवसाईट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

6. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग–A में सन्निहित 1–7 शर्तें तथा भाग–B में सन्निहित 1–9 शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के रॉची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC- 338 दिनांक 20/04/2022

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया को प्रासंगिक पत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू. 318/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

अनु०–यथोक्त।

ह०/–
(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC- 338 दिनांक 20/04/2022

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, गया अंचल, गया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20-04-22
(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।